पेयजल समस्या को लेकर महिलाओं ने मटके फोड़कर विरोध जताया

शाहपुरा । शाहपुरा शहर के वार्ड नंबर 23 के विभिन्न मौहल्ले व ढाणियों मे चली तेजल की समस्या को लेकर आखिरकार लोगों का गुस्सा फूट पड़ा।

■ **उपखंड अधिकारी के 2 दिन में टैंकर सप्लाई शुरू करवाने के आश्वासन पर माने लोग**

लोगों ने खाली मटकी लेकर जलदाय विभाग के अधिकारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।

गुस्साएं महिलाओं ने उपखंड कार्यालय पर जलदाय विभाग के अधिकारियों के सामने ही मटका फोड़ कर विरोध प्रदर्शन किया। लोगों ने जलदाय विभाग के सहायक अभियंता शिशुपाल सैनी के फोन नहीं उठाने पर भी नाराजगी जताई। बाद में उपखंड अधिकारी संजीव कुमार खेदड़ के 2 दिन में टैंकर सप्लाई चालू होने तथा जल्द ही वार्ड में पेयजल टंकी से पाइपलाइन डाले जाने की आवश्यकता के बाद मामला शांत हुआ।

जानकारी के अनुसार शहर के वार्ड नंबर 23 में भूरा मूर्ति आटस के पीछे बड़ी पेयजल टंकी बनाई गई थी। उसे समय यहां आस पास के हनुमान सागर, तेल्या वाली, मिश्रा कॉलोनी,नाथ कॉलोनी,राजपूत कॉलोनी,काठाला वाली ढाणी आदि में रहने वाले लोगों को उम्मीद जगी थी कि अब उनकी पेयजल समस्या दूर हो जाएगी लेकिन टंकी बनने से लेकर आज तक पाइपलाइन नहीं डाली गई। जिस वार्ड में पेयजल समस्या गहरा गई। लोग मजबूरन निजी खर्चे पर टैंकर मंगा कर प्यास बुझा रहे हैं। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष नाथूलाल सैनी,नगर अध्यक्ष मुकेश खुडानिया,प्रदेश कांग्रेस कमेटी सचिव प्रवीण व्यास व पार्षद घनश्याम सैनी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोग व महिलाएं खाली मटकी लेकर उपखंड कार्यालय पहुंची। जलदाय विभाग के अधिकारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। एसडीएम संजीव कुमार ने मौके पर ही जलदाय विभाग के सहायक अभियंता शिशुपाल सैनी को बुलाया। उपखंड अधिकारी को लोगों ने विरोध जताते हुए बताया कि सहायक अभियंता उनके फोन नहीं उठाते हैं।ब्लॉक अध्यक्ष नाथूलाल सैनी ने कहा कि पेयजल की समस्या शहर के सभी वार्डों में है गर्मी का सितम जारी है उसके बावजूद भी पानी के टैंकर शुरू नहीं हो पाए हैं।उपखंड अधिकारी ने सहायक अभियंता को आगे से ऐसी शिकायत का मौका नहीं देने की बात कही।

381 स्थानों पर दबिश देकर 98 आरोपियों को गिरफ्तार किया

कोटपूतली। जयपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश के निर्देशन एवं जिला पुलिस अधीक्षक सतवीर सिंह के निर्देशानुसार जिले में ऐसे सक्रिय अपराधी जो वांछित गतिविधियों में लिप्त रहते है, क्षेत्रवासियों में भय पैदा करते है, हार्डकोर अपराधियां, उद्घोषित अपराधी, स्थाई वारन्टी, भगौड़े, ईनामी अपराधी,मुकदमों में वांछित अपराधी, मादक पदार्थों, अवैध हथियार, अवैध शराब की तस्करी में लिप्त अपराधियों की गतिविधियों पर लगाम लगाने व सख्त कानूनी कार्यवाही करने के लिये 16 व 17 मई को चलाये गये अभियान के तहत सघन तलाशी, दबिश व छापेमारी की जिला पुलिस द्वारा अपराधियों के सम्भावित ठिकानों पर एक साथ कार्यवाही की गई।

■ **जिले के 212 पुलिसकर्मियों के साथ पृथक-पृथक 51 टीमों द्वारा एक साथ एक ही समय पर दी गई दबिश व छापेमारी**

टीमों द्वारा 381 स्थानों पर दबिश देकर कुल 98 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उक्त अभियान में उद्घोषित अपराधी, स्थायी वारन्टी व वांछित अपराधियों के खिलाफ भी प्रभावी कार्यवाही की गई। कार्यवाही के दौरान अवैध आबकारी अधिनियम के तहत 04 प्रकरण, 01 प्रकरण आर्म्स एक्ट में व 01 प्रकरण अवैध परिवहन/खनन के तहत पंजीबद्ध कर कुल 06 नये प्रकरण पंजीबद्ध किये गये। जिला पुलिस अधीक्षक सतवीर सिंह के पर्यवेक्षण में अपराधियों का चिन्हिकरण कर उनके सम्भावित ठिकानों और गतिविधियों की जानकारी व निगरानी के लिये एएसपी कोटपूतली व नीमराना, जिले के समस्त डीएसपी व थानाधिकारियों एवं गठित टीमों द्वारा सम्भावित स्थानों पर दबिश व छापेमारी के लिये विशेष तैयारी की गई। अपराधियों की आसूचना संकलन करने के पश्चात एएसपी कोटपूतली नाजिम अली व एएसपी नीमराना सुरेश खिंची के निर्देशन में जिले के समस्त वृताधिकारियों एवं थानाधिकारियों व गठित टीमां द्वारा जिले में अलग-अलग स्थानों पर एक साथ दबिश देकर अपराधियों को घेरकर उनके सम्भावित आपराधिक ठिकानों की सघन तलाशी ली गई। अभियान के तहतअपराधियों में डर व आमजन में विष्वास कायम रखने, अपराधों पर लगाम लगाना, सोशियल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने व अफवाह फैलाने वालों की निगरानी, अपराधी के निवास स्थान के आसपास क्षेत्रवासियों में सुरक्षा की भावना पैदा करना, अपराधिक गैंग पर अंकुश लगाना, आर्म्स (हथियार), अवैध शराब तथा नशे पर अंकुश लगाना व अभियान के दौरान गिरफ्तार किये गये अपराधियों से गहन पूछताछ कर उनकी आपराधिक योजनाओं के बारे में पता लगाकर जिले में होने वाली गैंगवार की घटनाओं व अपराधों को रोकना हैं। वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी आदि अभियान का उद्धेष्य हैं।

बैठक आयोजित

कोटपूतली। जिला कलेक्टर अपर्णा गुप्ता की अध्यक्षता में सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों एवं उपखंड अधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं, विकास कार्यों तथा आमजन से जुड़ी आधारभूत सुविधाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।

ऊर्जा मंत्री नागर ने दिव्यांगों को स्कूटी की सौगात दी

टोंक। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार महिला, श्रमिक, युवा, किसानों को आत्मनिर्भर एवं आर्थिक दृष्टि से मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है। मुख्यमंत्री अंतिम पंक्ति

■ **ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने समस्याओं को संवेदनशीलता से सुनकर निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए**

ऊर्जा मंत्री नागर देवली नगर पालिका परिसर में दिव्यांगजनों के स्कूटी वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए।

में खडे व्यक्ति को योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए जनकल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए प्रतिबद्ध है।

इस दौरान नागर ने सोमवार को जिले की देवली नगर पालिका परिसर में दिव्यांगजनों के स्कूटी वितरण कार्यक्रम में संबोधित करते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार प्रदेश में विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है। हमारी सरकार ने हाल ही में ग्राम विकास रथों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार की योजनाओं को लेकर आमजन को जागरुक करने का कार्य किया, ताकि एक भी पात्र व्यक्ति अपने हक से वंचित नही रहें। उन्होने बताया कि सरकार के विधायक कोष से स्थानीय विधायक राजेन्द्र गुर्जर द्वारा आप सभी को 59 स्कूटियों का वितरण किया जा रहा है। आपके विधायक आमजन की व्यक्तिगत समस्याओं को लेकर बेहद संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि दिव्यांग भाई-बहिनों को स्कूटी मिलने से उनका जीवन सुगम हो सकेगा। उन्हें रोजमर्रा के कामों में परेशानी का सामना नही करना पड़ेगा। इस मौके पर स्थानीय विधायक राजेन्द्र गुर्जर ने कहा कि पंडित दीन दयाल उपाध्याय ने कहा था नर सेवा ही नारायण सेवा है।

जाट समाज प्रतिभावान सम्मान समारोह आयोजित

देवली । जाट विकास समिति देवली के तत्वावधान में रविवार,को सिरोही स्थित देहलवाल बाबा मंदिर परिसर में आयोजित जाट समाज प्रतिभावान सम्मान समारोह का आयोजन किया है यह आयोजन सामाजिक एकता, शिक्षा प्रोत्साहन और युवा जागरूकता का मंच. भी बना । समारोह में समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली 221 प्रतिभाओं का सम्मान कर उनका उत्साह बढ़ाया गया।इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज बंधुओं की उपस्थिति बनी रही तथा आयोजन के समापन तक उत्साह, अनुशासन और सामाजिक चेतना का वातावरण दिखाई दिया । जानकारी के अनुसार समारोह के मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार के जलदाय एवं भूजल विभाग के कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल चौधरी रहे। विशिष्ट अतिथियों में रिटायर्ड जज राजेंद्र सिंह, एडिशनल एसपी धर्मराज चौधरी, सीओ हेमराज मूंड, पूर्व प्रधान गणेश जाट, पूर्व प्रधान बनवारी जाट, लोकमत चैनल की डायरेक्टर माया चौधरी, डॉ. धनराज जाट तथा नगर पालिका पार्षद छाया चौधरी सहित समाज के अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। समारोह में कक्षा 10 वीं एवं 12 वीं में 85 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं,सहित राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों,और राजकीय सेवाओं में चयनित युवाओं,एवं भामाशाहों तथा समाज का नाम रोशन करने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। प्रतिभाओं का सम्मान किए जाने के दौरान उपस्थित लोगों कि तालियों कि गड़गड़ाहट से समारोह गूंज उठा। तो वही कार्यक्रम के दौरान राजस्थानी संस्कृति की मनमोहक प्रस्तुतियां भी पेश की गई। इस दौरान मुख्य अतिथि मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षा और संस्कार ही समाज को नई दिशा देते हैं। उन्होंने युवाओं से नशाखोरी और सामाजिक कुरीतियों से दूर रहकर सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने का आव्हान किया। मंत्री चौधरी ने देहलवाल बाबा मंदिर स्थित जाट धर्मशाला में लगभग 20 लाख रुपए की लागत से डॉम निर्माण की घोषणा की।

नम्बर मिलाइए
8890333139

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

खोया पाया

मेरे मकान 13/373 मानसरोवर, जयपुर का मूल आवंटन पत्र, हैण्डिंग ओवर लेटर, अदेय प्रमाण पत्र खो गया। सूचित करें। मो. 9694921519

मेरे मकान नम्बर MA-1/406 प्रताप अपार्टमेंट, सैक्टर-29 प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर का ओरिजनल अलाटमेंट लेटर नम्बर 3342 कहीं खो गया है मिलने पर सूचित करें। रेनू सिंह- 9414015939

प्लॉट नम्बर 111-ए, सूतर खाना जनता कॉलोनी का दिनांक 15 अक्टूबर 1994 का असल विक्रय पत्र कहीं गुम हो गए है। जिस किसी को मिले सूचित करें। नईमा नकवी मो. 9414841359

आम सूचना

जयपुर विकास प्राधिकरण (जे.डी.ए.) व हर आम को सूचित किया जाता है कि मेरे मुवक्किल श्री अभिषेक कटेवा पुत्र स्वर्गीय विरेन्द्र सिंह कटेवा निवासी पलाट नम्बर 38, कान्ती नगर स्टेशन रोड, जयपुर ने अरविन्द कुमार जाट व मुकेश कुमार पुत्रान जगदीश प्रसाद निवासीयान ग्राम पीपला भरत सिंह (जाटों की ढाणी) तहसील सांगानेर जिला जयपुर को ऋण दिया हुआ है तथा ऋण अदायगी पेटे उपरोक्त दोनो भाईयों (अरविन्द कुमार व मुकेश कुमार) ने जयपुर विकास प्राधिकरण से स्वयं के पट्टा विलेख (फ्री होल्ड) भूखण्ड संख्या 11 / IB (b) 17 क्षेत्रफल 50 स्कवायर मिटर, 11 / IC (i) / 74 क्षेत्रफल 12.50 स्कवायर मीटर, 11 / IC (i) / 80, क्षेत्रफल 12.50 स्कवायर मीटर, 11/ IC (i)/83 क्षेत्रफल 12.50 स्कवायर मीटर, 11 / OB/115B, क्षेत्रफल 1250 स्कवायर मीटर, 11 / IC (b)/ 16 क्षेत्रफल 50 स्कवायर मीटर, 11/IC (i)/77 क्षेत्रफल 12.50 स्कवायर मीटर, 11 / IC (i) / 86 क्षेत्रफल 12.50 स्कवायर मीटर, 11 / IC (i)/ 92 क्षेत्रफल 12.50 मीटर एवं 11 / OB/115A, क्षेत्रफल 1250 स्कवायर मीटर जरिये आवंटन क्रमांक F-JDA/JONE-11/2026/9470, F-JDA/JONE-11/2025/7195, F-JDA / JONE-11/2025/7186, F-JDA/JONE 11/2025/7206, F-JDA/JONE-11/2025/7183, F-JDA/JPNE-11/2026/9472, F- JDA/JONE-11/2025/7185] F-JDA/JONE-11/2025/7214, F-JDA/JONE- 11/2025/7196, F-JDA/JONE-11/2025/7212 है। उपरोक्त भूखण्डों के मूल पट्टे (जे.डी.ए. द्वारा जारी रजिस्ट्रीस्टर्ड शुदा) मेरे पास ऋण अदायगी पेटे गिरवी, रहन रखे हुये है। जयपुर विकास प्राधिकरण इनके डुप्लीकेट पट्टे जारी नहीं करें तथा कोई व्यक्ति या संस्था इनको क्रय नहीं करे। सूचनार्थ प्रेषित है।

प्रेषक
राजेन्द्र सिंह महला एडवोकेट,
एस -10ए, अम्बाबाड़ी जयपुर मोबाईल - 9351648480

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर 563/2026
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)

चूंकि श्री अजय कुमार निवासी 24 फ्रैट्स कॉलोनी, लालकोठी जयपुर ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रन्यास मरूधरा अकादमी 24 फ्रैट्स कॉलोनी, लालकोठी जयपुर राजस्थान के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 22.04.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 30.06.2026

मोहर अदालत
सहायक आयुक्त (प्रथम)
देवस्थान विभाग जयपुर

कार्यालय नगर निगम, भरतपुर

क्रमांक : न.नि.भ./स्कीम/2026-27/3029 दिनांक : 11.05.2026

सार्वजनिक सूचना

जवाहर नगर योजना भरतपुर में आवासीय भूखण्ड संख्या ए-63 श्री रमेश चंद गुप्ता पुत्र श्री ईश्वर चंद गुप्ता जाति वैश्य निवासी - सेढ का मढ जामा मस्जिद, भरतपुर के नाम 99 वर्षीय लीज होल्ड पर आवासीय भूखण्ड आवंटन/नीलामी में नगर विकास न्यास, भरतपुर द्वारा विक्रय किया गया था। जिसका क्षेत्रफल 213.33 वर्गगज है। उक्त भूखण्ड का नाम परिवर्तन कार्यालय आदेश क्रमांक 11027-29 दिनांक 28.01.2022 के द्वारा श्रीमती राधा गुप्ता पत्नी स्व० श्री रमेश चंद गुप्ता के नाम पूर्व में हो चुका है। श्रीमती राधा गुप्ता पत्नी स्व० श्री रमेश चंद गुप्ता ने उक्त भूखण्ड जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 08.12.2023 के द्वारा श्री अनिल कुमार बंसल व श्री सुनील कुमार बंसल पुत्रगण श्री रमेशचंद बंसल को विक्रय कर दिया। आवेदकान श्री अनिल कुमार बंसल व श्री सुनील कुमार बंसल पुत्रगण श्री रमेशचंद बंसल जाति वैश्य निवासीयान- उच्चैन तहसील उच्चैन जिला भरतपुर हाल निवासीयान डी-34, जवाहर नगर, भरतपुर उक्त भूखण्ड का नाम परिवर्तन कराना चाहते हैं। उक्त भूखण्ड का नाम परिवर्तन करने की कार्यवाही इस कार्यालय द्वारा की जानी है।

इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अन्दर अवधि सात दिवस में कार्यालय नगर निगम, भरतपुर में अपनी आपत्ति दर्ज करावें अन्यथा गुजरने म्याद भूखण्ड संख्या ए-63, जवाहर नगर, भरतपुर का नाम परिवर्तन करने की कार्यवाही कर दी जावेगी एवं कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी।

प्रभारी अधिकारी
स्कीम शाखा, नगर निगम, भरतपुर

आम सूचना मेरी भूमि खसरा नं. 255/28 रकबा 1.1982 वाके स्थित ग्राम तन चक चारणवास पटवार हल्का राजपुरवास ताला, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर राजस्थान से सम्बन्धित असल दस्तावेज कार्यालय उपखण्ड अधिकारी तहसील जमवारामगढ जयपुर द्वारा जारी संपरिवर्तन आदेश क्रमांक/संपरिवर्तन/2002/1735 दिनांक 25.04.2022 संपरिवर्तन आदेश का पंजीयन लेखपत्र दिनांक 24.02.2023 कहीं गुम हो गये है जो काफी प्रयास के उपरान्त भी नहीं मिल हैं। यदि मेरे उक्त सम्पति के उपरोक्त असल दस्तावेज किसी को मिलते है तो निवेदन है कि मेरे मोबाइल नम्बर पर सूचित करें। आमजन को यह सूचित किया जाता है कि उक्त सम्पति के सम्बन्ध में किसी भी अन्य व्यक्ति फर्म संस्था निकाय कम्पनी इत्यादि किसी से किसे से भी किसी प्रकार का क्रय विक्रय या किसी भी प्रकार का संव्यवहार नही करे, यदि मेरे उक्त सम्पति के संबंध में कोई अन्य किसी भी प्रकार का क्रय विक्रय या किसी भी प्रकार का संव्यवहार करता है तो इसकी समस्त परिणामों के लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा। उसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
घनश्याम सिंह पुत्र श्री ओंकार सिंह देवल उम्र 59 वर्ष निवासी चकचारणवास, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर राजस्थान हॉल निवासी 150 कृष्ण मार्ग, गोविन्द नगर पूर्व, ब्रह्मपुरी, आमेर रोड, जयपुर राजस्थान। मो.नं. 9694011121

इत्तलानामा वास्ते जाहिर करने वजह न जारी होने डिक्री के
(ओ. 21 रूल 22 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रम 1 जयपुर महानगर जयपुर द्वितीय
श्रीमती फूलमती धामाणी व अन्य
बनाम
पंडित श्री नारायण पुजारी व अन्य
डिग्री बाबत इजराय 234/24
मुकदमा नं. .... सन्
बनाम्
मुसम्मी - दीनानाथ शर्मा
पुत्र स्व. श्री नाथूलाल शर्मा
निवासी- 271, ग्रीन पार्क, दादी का फाटक, झोटवाड़ा, जयपुर
चूंकि फूलमती धामाणी ने डिग्री अदालत उक्त मवखे .... व मुकदमा नं. .... सन् .... को इजराय के लिए दरख्वास्त पेश की है इसलिए आपको इत्तला दी जाती है कि आप इस अदालत में दिनांक 30 मई 2026 को हाजिर होकर अगर कोई उज्र वास्ते आपके खिलाफ इजराय किये जाने डिग्री रखते हों तो पेश करो।
आज ब तारीख 18.05.2026 व सब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के जारी किया गया।
रीडर ग्रेड-प्रथम
मोहर न्यायालय
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-01, जयपुर महानगर-द्वितीय

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर 612/2026
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)

चूंकि श्री प्रमोद पाल, निवासी 35/60 रजत पथ, मानसरोवर, जयपुर ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रन्यास OVALE CHARITABLE SOCITY OVALE HEAL THCARE प्लॉट नम्बर 5 ए, शॉप नम्बर-14-15 विश्व नगर, मेट्रो विहार नम्बर 83 के पीछे, न्यू सांगानेर रोड, सोडाला, जयपुर राजस्थान के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 14.05.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 17.07.2026

मोहर अदालत
सहायक आयुक्त (प्रथम)
देवस्थान विभाग जयपुर

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर 613/2026
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)

चूंकि श्री प्रमोद पाल, निवासी 35/60 रजत पथ, मानसरोवर, जयपुर ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रन्यास अग्रणी सोसायटी फॉर एज्यूकेशन एण्ड डवलपमेन्ट 8 राधा निकुंज, सी इस्कॉन रोड रामपुरा रोड नियर केसर चौराहा, सांगानेर जयपुर राजस्थान के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 14.05.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 17.07.2026

मोहर अदालत
सहायक आयुक्त (प्रथम)
देवस्थान विभाग जयपुर

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर 610/2026
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)

चूंकि श्री प्रमोद पाल, निवासी 35/60 रजत पथ, मानसरोवर, जयपुर ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रन्यास स्व. सेठ लक्ष्मीनारायण स्मृति संस्थान 35/60 रजत पथ, मानसरोवर, जयपुर राजस्थान के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 14.05.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 17.07.2026

मोहर अदालत
सहायक आयुक्त (प्रथम)
देवस्थान विभाग जयपुर

उद्घोषणा (इश्तिहार) न्यायालय (राज.)

व्यवहार मिश्रित (मुत्तफरिका) वाद सं. 23264/2025
विषय- उत्ताधिकार प्रमाण-पत्र प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र।
प्रार्थी श्री जगदीश प्रसाद ताम्बी पुत्र स्व. श्री कन्हैया लाल ताम्बी उम्र लगभग 79 वर्ष निवासी प्लॉट नम्बर-2/181 संग्राम कॉलोनी, सी-स्कीम जयपुर राजस्थान।
मृतक कन्हैया लाल ताम्बी की चल सम्पत्ति के विषय में।
पेशी दिनांक- 21.05.2026
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थी/प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि मृतक, नाम मृतक कन्हैया लाल ताम्बी पुत्र श्री वीरधी चन्द निवासी प्लॉट नम्बर 2/181 संग्राम कॉलोनी सी-स्कीम जयपुर राजस्थान का उत्तराधिकारी स्वीकार कर उसके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रदान किया जावें।
अतः उक्त प्रार्थना-पत्र की स्वीकृति में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 21 माह 05 सन् 2026 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रमाण सहित प्रस्तुत करें। उक्त दिवस के पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
आज दिनांक 18 माह 05 सन् 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांकन से जारी किया गया।
प्रार्थी ने मृतक कन्हैया लाल ताम्बी के नाम प्रार्थना पत्र में वर्णित शेयर्स बयान उत्तराधिकार प्रमाण पत्र चाहा है।

मोहर अदालत
आज्ञा न्यायालय से-वरिष्ठ मुंसरिम जिला एवं सैशन न्यायालय जयपुर महानगर-प्रथम

उद्घोषणा (इश्तिहार) न्यायालय (राज.)

व्यवहार मिश्रित (मुत्तफरिका) वाद सं. 23263/2025
विषय- उत्ताधिकार प्रमाण-पत्र प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र।
प्रार्थी श्री जगदीश प्रसाद ताम्बी पुत्र स्व. श्री कन्हैया लाल ताम्बी उम्र लगभग 79 वर्ष निवासी प्लॉट नम्बर-2/181 संग्राम कॉलोनी, सी-स्कीम जयपुर राजस्थान।
मृतक मनी देवी की चल सम्पत्ति के विषय में।
पेशी दिनांक- 21.05.2026
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थी/प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि मृतक, नाम मृतक मनी देवी पत्नि कन्हैया लाल ताम्बी निवासी एच-57, ताम्बी भवन बनीपार्क जयपुर का उत्तराधिकारी स्वीकार कर उसके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रदान किया जावें।
अतः उक्त प्रार्थना-पत्र की स्वीकृति में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 21 माह 05 सन् 2026 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रमाण सहित प्रस्तुत करें। उक्त दिवस के पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
आज दिनांक 18 माह 05 सन् 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांकन से जारी किया गया।
प्रार्थी ने मृतका मनी देवी के नाम प्रा.पत्र में वर्णित शेयर्स की प्राप्ति बाबत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र चाहा है।

मोहर अदालत
आज्ञा न्यायालय से-वरिष्ठ मुंसरिम जिला एवं सैशन न्यायालय जयपुर महानगर-प्रथम

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण क्रम संख्या-1 जयपुर महानगर-द्वितीय जयपुर

क्रमांक-502 दिनांक-01.05.2026
ता.पेशी-06.06.2026
मालिराम राव पुत्र श्री भैरू राम राव
निवासी-93 शांति नगर, कालवाड रोड जोशी मार्ग, झोटवाडा जयपुर।

विषय-न्यायाधिकरण द्वारा क्लेम प्रार्थना पत्र संख्या-142/2020 में पारित आदेश दिनांक 01.06.2024 उनवानी सुमित पारीक बनाम गोविन्द कुमार वर्मा व अन्य की पालना के सम्बन्ध में।
उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस न्यायाधिकरण के अंतिम पंचाट दिनांक 01.06.2026 द्वारा प्रार्थी के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण के विरूद्ध 4,47,000/- रूपये एवं इस राशि पर दिनांक 20.07.2019 से अदायगी तक 6 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज भी अदा करने का आदेश दिया गया था, परन्तु आपने न्यायाधिकरण द्वारा आदेशित रशि का भुगतान आज दिनांक तक नहीं किया है, जिसकी वसूली हेतु प्रार्थी द्वारा न्यायाधिकरण के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।
अतः इस नोटिस द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांकित 01.06.2024 की पालना में उपरोक्त वर्णित राशि व ब्याज का भुगतान आगामी तारीख पेशी-06.06.2026 तक कर देवे अन्यथा आपके विरूद्ध मोटर यान अधिनियम के अन्तर्गत नियमानुसार वसूली की कार्यवाही प्रारंभ कर दी जायेगी।

न्यायाधीश
मोहर अदालत
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण संख्या-1 जयपुर महानगर-द्वितीय, जयपुर

खोया-पाया मैं मोहन लाल नारोलिया पुत्र कालूराम निवासी रैगरों का मोहल्ला चाकसू मैंने बाबा आर एन गौड गृह निर्माण सहकारी समिति लि. जयपुर द्वारा आवासीय स्कीम चमन विहार वार्ड नं. 12 चाकसू में प्लाट संख्या 89 एरिया 100 वर्गगज है का सम्पूर्ण हिस्सा लिया था जिसकी शुल्क रसीद संख्या 21819/14.10.1997 मुझसे गुम हो गयी है भविष्य में रसीद मिल जाती तो मैं रसीद को सोसाइटी मं सरेंडर कर दूंगा। दुरूपयोग पर समस्त जिम्मेदारी मेरी होगी।

इत्तलानामा वास्ते जाहिर करने वजह न जारी होने डिक्री के
(ओ. 21 रूल 22 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रम 1 जयपुर महानगर जयपुर द्वितीय
श्रीमती फूलमती धामाणी व अन्य
बनाम
पंडित श्री नारायण पुजारी व अन्य
डिग्री बाबत इजराय 234/24
मुकदमा नं. .... सन्
बनाम्
मुसम्मी - श्रीमती कमला बाई
पुत्री छगन जी सरपंच हरमाड़ा
निवासी- सरपंच हरमाड़ा, तहसील आमेर
जिला- जयपुर
चूंकि फूलमती धामाणी ने डिग्री अदालत उक्त मवखे .... व मुकदमा नं. .... सन् .... को इजराय के लिए दरख्वास्त पेश की है इसलिए आपको इत्तला दी जाती है कि आप इस अदालत में दिनांक 30 मई 2026 को हाजिर होकर अगर कोई उज्र वास्ते आपके खिलाफ इजराय किये जाने डिग्री रखते हों तो पेश करो।
आज ब तारीख 18.05.2026 व सब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के जारी किया गया।
रीडर ग्रेड-प्रथम
मोहर न्यायालय
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-01, जयपुर महानगर-द्वितीय

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर 605/2026
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)

चूंकि श्री रमन कालिया निवासी 4/143 एस एफ एस अग्रवाल फार्म जयपुर ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रन्यास सरस्वती शिक्षा संस्थान लाल महल के सामने, जमवारामगढ, जयपुर राजस्थान के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 13.05.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 15.07.2026

मोहर अदालत
सहायक आयुक्त (प्रथम)
देवस्थान विभाग जयपुर

आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य श्री पुरुषोत्तम गोयनका सुपुत्र श्री बनवारी लाल गोयनका निवासी फ्लैट नंबर-370 फ्लैट नंबर-303 सैकिण्ड फ्लोर मौं रेजीडेंसी तृतीय, प्रताप नगर विस्तार, बेद जी के चौराहा के पास, मुरलीपुरा, जयपुर ने एक आवासीय फ्लैट स्थित फ्लैट नंबर जी-1, "हार्मोनी रेजीडेंसी-1" प्लॉट नंबर 642 प्रताप नगर विस्तार, बेदजी का चौराहा, चोमू रोड, जयपुर जिसका कुल क्षेत्रफल 750 वर्गफीट है को क्रय (खरीदने) करने का इकरार श्रीमति निशा शर्मा पत्नी श्री अनिल कुमार अग्रवाल, निवासी प्लॉट नंबर 46, वार्ड नंबर-4 न्यू पेट्रोल कॉलेज के सामने, स्टेशन रोड, नवलगढ जिला झुंझुनू (राजस्थान) से किया है। इस क्रय-विक्रय के संव्यवहार में किसी व्यक्ति, संस्था, निकाय, बैंक या वित्तीय संस्था को कोई भी आपत्ति/उज्र हो तो मुझ हस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आगामी सात दिवस में लिखित में व्यक्तिगत उपस्थित होकर पेश करें। बाद मियाद कोई आपत्ति, उज्र मान्य नहीं होगा एवं प्रभाव शून्य व निष्प्रभावी होगा। अतः सूचित रहे।
जयपुर (सतीश मोदी) एडवोकेट
दिनांक-18.05.2026 मो. 9314833316

नाम परिवर्तन

मैंने मेरा नाम विकाश कुमार से बदलकर विकाश जाँगिड पुत्र झाबर मल जाँगिड रख लिया है। भविष्य में मुझे विकाश जाँगिड के नाम से जाना पहचाना जाये। निवासी ग्राम-भवानीपुरा, तहसील धोद, जिला सीकर राजस्थान

मैं मुनिफ अहमद पुत्र अलादीन खान मेरे पासपोर्ट नं. ई-4555467 में गलती से मेरी जन्मतिथि 15.03.1967 दर्ज हो गई जबकि सही जन्मतिथि 25.03.1967 है। भविष्य में मेरी जन्मतिथि 25.03.1967 मानी जावे। निवासी 129 नेहरू नगर, कुंडा आमेर जयपुर-302028 (राज.)

मैंने अपना नाम विनय कुमार (Vinay Kumar) से बदलकर विनय गुप्ता (Vinay Gupta) पुत्र श्री श्याम बाबू गुप्ता रख लिया है भविष्य में मुझे विनय गुप्ता (Vinay Gupta) के नाम से जाना जावें। पता-आर-55 गोविन्द नगर वार्ड नं. 74 गांधी मार्ग, जयपुर-302002

मैंने मेरा नाम रोहित कुमार महावर से बदलकर रोहित कुमार रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जाएं। निवासी वार्ड नं. 3 संजय नगर, सुल्तानपुर कोटा (राज.) 325204

मै, आकांक्षा तिवारी पत्नी नंबर 15191695A NK (CC) देवेन्द्र कुमार तिवारी निवासी गांव -पुरे कलंदर PO-मानापुर हरिहरपुर, जिला अमेठी (UP)। मेरे पति के सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम आकांक्षा तिवारी गलत दर्ज है। मेरे डॉक्यूमेंट्स यानी आधार और वोटर कार्ड के अनुसार मेरा सही नाम आकांक्षा है।

मैं, सोनाली चंद्रकांत कदम W/o No. 15220041F HAV (OPR) खामकर संतोष R/o VPO-कोडोली Teh. & Dist. संतारा (MH) मेरे पति के सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम सोनाली चंद्रकांत कदम और D.O.B. 01.06.1994 गलत दर्ज है। मेरे आधार के अनुसार मेरा सही नाम सोनाली संतोष खामकर और D.O.B. 05.01.1994 है।

VACANCY FOR THE POST OF THE PRINCIPAL AT ARMY PRE PRIMARY SCHOOL, NIWARU MIL STN JAIPUR

1. Army Pre Primary School, Niwaru, Jaipur invites applications for the post of Principal on contractual basis.

Vacancies for	No. of Vacancy	Age limit	Qualification
Principal	01	Minimum age 25 Yrs Maximum age 55 Yrs	(a) Graduate or above in any discipline (b) Mandatory- A Teaching Degree B.Ed (Elementary Education or NTT (mandatory) (c) Experience as required under any one of the following clauses :- (i) At least 3 years experience of administrative charge of a recognized Middle School or higher classes. (ii) At lease 5 years experience as Head of School (Headmaster/ Headmistress/ Coordinator/Supervisor of Primary Wing of a recognized High School or an APPS

2. Last date of submission of application is 28 May 2026 at APPS, Niwaru alongwith photocopy of above mentioned documents.
3. The offered salary will be competitive and comparable to what other reputable private schools in the area are offering.
4. For query contact no. 9530267341, 7252002716.
5. e-mail id- appsniwaru45ib@gmail.com.

कार्यालय नगरपरिषद् कुचामनसिटी (डीडवाना-कुचामन)

Email :co.mcorp.kuchaman@rajasthan.gov.in munibkcity@gmail.com
फोन 01586-220022 01586-221526

क्रमांक :— न.प.कु./2026—27/929 दिनांक :—18.05.2026

आपत्ति आमन्त्रण सूचना

सर्व साधारण को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्न आवेदको द्वारा पालिका में निम्न रूप से उल्लेखित प्रयोजनार्थ के लिये आवेदक प्रस्तुत किया है। पालिका द्वारा आवेदित प्रयोजनार्थ के तहत प्रकरण का निस्तारण किया जाना है। निम्न प्रकरणों में किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो इस सूचना के प्रकाशन की दिंनाक से 07 दिवस में इस कार्यालय को लिखित में आपत्तियां/कारण/विवरण सहित कार्यालय समय में दर्ज करावें, अन्यथा बाद मियाद किसी भी प्रकार की आपत्ति स्वीकार नहीं होगी एवं आवेदक के पक्ष में भूमि आवंटन पट्टा/जारी कर दिया जावेगा।

क्र. स.	पत्रावली सं.	प्रयोजन	आवेदक का नाम/पिता का नाम व पता	क्षेत्रफलव गंगजमें	खसरा नं., कॉलोनी/मौहल्ला का नाम
1.	17/2026-27	69—क	श्रीमती सन्तोष काबरा पत्नी रतनलाल काबरा	388.00	758, स्टेशन रोड़
2.	18/2026-27	69—क	श्रीमती शाहनाज बानो पत्नी मोहम्मद हनीफ	153.93	758, नया शहर
3.	19/2026-27	69—क	श्रीमती नसीम पत्नी दाउद	70.79	758, गुंलजारपुरा
4.	20/2026-27	69—क	श्रीमती अंजु पारीक पत्नी मुकेश कुमार पारीक	106.58	758, सब्जी मण्डी
5.	21/2026-27	69—क	श्री सुनील सोनी पुत्र महेश कुमार सोनी	275.73	758, डिडवाणियों की गली
6.	22/2026-27	निर्माण ईजाजत	श्री इन्द्र सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह राठौड़	233.33	टोरड़ा रोड़, कुचामन सिटी
7.	23/2026-27	निर्माण ईजाजत	श्री अनिल अग्रवाल पुत्र राजकुमार अग्रवाल	164.87	चित्रकुट कॉलोनी, कुचामन सिटी
8.	27/2026-27	नामान्तरण	श्री हरीदयाल पुत्र मुगनाराम	177.77	टैगोर विहार
9.	40/2026-27	नामान्तरण	श्री नरेश कुमावत पुत्र रामस्वरूप कुमावत	210.00	जगदम्बा कॉलोनी, बुड़सूरोड़
10.	41/2026-27	नामान्तरण	श्रीमती रूपकंवर पत्नी हिम्मत सिंह	104.50	धर्मकांटा के पिछे
11.	44/2026-27	नामान्तरण	श्री श्रवणराम पुत्र बोदूराम गुर्जर	187.33	टोम कॉलोनी
12.	46/2026-27	नामान्तरण	श्री अजित ठोलिया पुत्र मेघाराम जाट	201.25	शारदा नगर
13.	01/2026-27	ट्रेड लाईसेन्स	मॉ कालका होटल जरिये श्री सुगन सिंह पुत्र श्रवण सिंह	-	डीडवाना रोड़, कुचामनसिटी

आयुक्त
नगरपरिषद् कुचामन सिटी